किस राशि के लिए शुभ

सभी 12 राशियों के लिए शुभ। विशेषकर वृश्चिक राशि के लिए अति उत्तम

आज का शुभ रंग : लाल

देवी स्कन्दमाता को लाल रंग बहुत प्रिय है।

किस रंग के कपड़े पहनें

भक्त पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र धारण करें।

सरकारी मानक का उल्लंघन कर बाजार में पानी बेचने का मामला

जसीडीह : भवानी शिवलेरी पानी प्लांट में छापा, सील

जसीडीह में शुक्रवार को शिवलेरी पानी कंपनी में जांच करती टीम। • हिन्दुस्तान

जसीडीह | प्रतिनिधि

जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडीह गांव में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रमाण-पत्र के बिना चलाये जा रहे वाटर प्लांट में छापेमारी की गयी। मां भवानी शिवलेरी पानी कंपनी द्वारा सरकारी मानक का उल्लंघन कर बाजार में पानी बेचने को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो की टीम द्वारा छापेमारी कर प्लांट सील कर दी गयी।

जानकारी के अनुसार शिवलेरी कंपनी में देव कंपनी के नाम से पानी तैयार किया जा रहा था। इसकी शिकायत कुछ पानी कंपनी से जुड़े लोगों द्वारा की गयी थी। इसकी जांच-पड़ताल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साइंटिस्ट एस के गुप्ता की टीम ने थाना क्षेत्र के दर्दमारा और नावाडीह गांव में छापेमारी की। दर्दमारा गांव में पानी प्लांट बंद था, जबकि नावाडीह गांव में

कार्रवाई

- सीलबंद पानी बेचने वाले कारखाने पर बीआईएस की दबिश
- नावाडीह और दर्दमारा में टीम ने की कार्रवाई

शिवलेरी पानी प्लांट में देव कंपनी का चालीस हजार स्टीकर, ग्यारह पेटी सील किया हुआ पानी बोतल और भारी मात्रा में बोतल बनाने वाली सामग्री जब्त कर सील कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक नावाडीह निवासी कृष्णकांत झा द्वारा कंपनी का संचालन पूर्व में किया जा रहा था, लेकिन मानक के अनुरूप काम नहीं होने के कारण कंपनी बंद कर दी गयी थी। वहीं देव कंपनी का भी पानी मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इस दौरान टीम में साइंटिस्ट हामिद हुसैन, राजीव प्रसाद सिन्हा, बलवीर कुमार, शारदा रमण प्रसाद, सेक्शन आफिसर राजेश प्रसाद शामिल थे।

बिना लाइसेंस के हो रहा प्लांट संचालन : बताते चलें कि जिले में अवैध तरीके से दर्जनों वाटर प्लांट संचालित किया जा रहा है। उनमें किसी वाटर प्लांट के पास ब्यूरो इंडियन स्टैंडडर्स का लाइसेंस नहीं है, जबकि मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के लिए इस लाइसेंस का होना पहली शर्त है।

क्या कहते हैं अधिकारी : छापेमारी की अगुवाई कर रहे साइंटिस्ट एस के गुप्ता ने बताया कि प्लांट का लाइसेंस पूर्व में ही रद्द कर दिया गया था, बावजूद कंपनी संचालक सरकारी मानक आईएसआई का मुहर लगाकर मानक का उल्लंघन कर संचालन कर रहा था। उन्होंने बताया कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी नहीं है। कंपनी में निर्माण, सामान को सील कर दिया गया है। घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दी जाएगी।

विवाहिता की हत्या, खेत से लाश बरामद

स, टेली परफॉर्मेंस, सेटिन क्रेडिट केयर ...जर, नियोक्स एचआर सोल्यूशन, ...कुल 17 कंपनियों ने 1885 पदों के लिए ...से 548 को शार्टलिस्टेड किया था.

28 छात्रों से पैसे की मांग की गयी है. बताया कि कंपनी ने ईमेल के माध्यम से पेटीएम नंबर व बैंक खाता नंबर भेज कर 12 अक्तूबर तक एक हजार रुपये की राशि संबंधित बैंक खाते में जमा करने को कहा है.

कुछ छात्रों [illegible] पत्र दुबारा भेजा जायेगा.

- डॉ बसंत कुमार गुप्ता

वाले अभ्यर्थियों को पैसे संबंधित कोई जानकारी कंपनी प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं दी गयी थी. 9 अक्तूबर को देवघर कॉलेज परिसर स्थित विज्ञान केंद्र में आयोजित मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के लिए छात्र-छात्राएं काफी उत्सुक थे. ड्राइव में 1250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था. वहीं देर शाम कंपनी के प्रतिनिधियों ने कॉलेज प्रबंधन को बताया कि उन सभी ने देवघर कॉलेज में आये 548 छात्रों को प्लेसमेंट ड्राइव में शॉर्ट लिस्ट किया है. जल्द ही सभी अभ्यर्थियों के ईमेल व फोन नंबर के माध्यम से चयनित किये जाने की जानकारी दिया जायेगा.

लाइसेंस रद होने के बाद दूसरे नाम से चल रही थी कंपनी

जमशेदपुर टीम ने वाटर प्लांट किया सील

प्रतिनिधि ▷ देवघर

जसीडीह थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव स्थित मां भवानी इन्डस्ट्रीज ड्रिंलिंग वाटर प्लांट में शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने छापेमारी कर सील कर दिया. टीम के सदस्यों ने 40 हजार देव एक्वा नामक कंपनी के स्टिकर, एक हजार पेटी सील किया. बोतल समेत भारी संख्या में बोतल बनाने की सामग्री जब्त कर सील किया गया. जानकारी के अनुसार मां भवानी इंडस्ट्रीज में देव कंपनी के नाम से पानी का निर्माण कर पानी बेचा जा रहा था. जिसकी शिकायत कुछ पानी कंपनी द्वारा किया गया था. इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मानक ब्यूरो टीम के साईंटिस्ट एस के गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी की गयी. टीम के सदस्य ने बताया कि इस कंपनी की उत्पादित पानी में मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण लाइसेंस पूर्व में ही रद्द कर दिया गया था. इसके बावजूद भी कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी के देव कंपनी के नाम से पानी का उत्पादन किया जा रहा था. जबकि देव कंपनी का भी लाइसेंस रद्द किया गया है. जांच के क्रम में पाया गया कि कंपनी की ओर से भारतीय मानक आइएसआइ का मार्का लगाकर अवैध रूप से पानी बेचा जा रहा था. टीम के सदस्य हामिद हुसैन, राजीव प्रसाद सिंहा, बलवीर कुमार, शारदा रमण प्रसाद, सेक्शन ऑफिसर राजेश प्रसाद शामिल थे. इस दौरान साईंटिस्ट एसके गुप्ता ने बताया कि कंपनी का लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी कंपनी के संचालक द्वारा सरकारी मानक आएसआइ की मुहर लगाकर पानी बेचा जा रहा था. जो मानक का उल्लंघन किया जा रहा था. कंपनी का मेन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी नहीं है. इसके बावजूद भी पानी बेचा जा रहा था. यह जानकारी वरीय अधिकारी को दी गयी है.

जमशेदपुर से पहुंची टीम.

तितली चक्रवात में दो दिन फंस गया अंडर ग्राउंड केबलिंग वर्क

देवघर. तितली चक्रवात के कारण जहां देशभर के अधिकांश हिस्सों में भारी उथलपुथल मची रही. इससे देवघर जिला भी अछूता नहीं रहा. बारिश के कारण एक तरफ जहां मुरझाये किसानों के चेहरों पर खुशियां लौट आयी तो दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में चल रहे अंडरग्राउंड केबलिंग की दो अलग-अलग योजनाएं पिछले दो दिनों से प्रभावित हो गयी. केबल वर्क को ध्यान में रखते हुए विभाग के कनीय अभियंताओं ने 10 अक्तूबर को मीडिया के माध्यम से अगले दिन शटडाउन लेने की घोषणा की. मगर तितली के असर के कारण अहले सुबह से बारिश शुरू हो गयी. जो 12 अक्तूबर यानि शुक्रवार तक जारी रह गयी.

व्यस्त

श से धान के फसलों में आर

कृषि मंत्री ने निदेशक व को-ऑपरेटिव के रजिस्ट्

बारिश के बावजूद नष्ट फसलों का ह

संवाददाता ▷ देवघर

तितली साइक्लोन के दौरान जिले में पर्याप्त बारिश के बाद भी सरकार